

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 64/2021

तारीख दायर :-06.10.2021

दिनांक निर्णय :-27.10.2021

निर्णय

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2021
114

बनाम

- 1.मुरली पुत्र श्रीराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
- 2.गोपाल पुत्र श्रीराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायलान मुरली, गोपाल पुत्रान श्रीराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ0ख0न0 15 रकबा 5.42 हे0 में से 2.00 हे0 किस्म चारागाह बारानी-3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जर्जे सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से नियत तारीख पेशी पर मुरली पुत्र श्रीराम उपस्थित आया जिसने जवाब हेतु समय चाहे जाने पर पर्याप्त समय दिया गया। इसके बावजूद भी गैरसायलान की ओर कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरुद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 8 रूपये का 50 गुणा राशि 400/- रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिरदावर थानाराजाजी/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर बाद तकलीम लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2021-22
के पृष्ठ संख्या. 23 पृष्ठ सं. 400/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार